झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–18 वर्ष 2017

साधु शरण सिंह, पुत्र–स्वर्गीय रामपाल सिंह, निवासी–माडा कॉलोनी, एट एंड पी0एस0–पुताकी, डाकघर–कुसुंडा, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संक्षेप में झामाडा) अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिनका कार्यालय झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद है।

2. कार्यपालक अभियंता, जल आपूर्ति डिवीजन, झामाडा, झामाडा भवन, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए–माडा :– मैसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्ता।

2/दिनांकः 30वीं जनवरी, 2017

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता, जिसे उत्तरदाता खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद के अंतर्गत जल आपूर्ति डिवीजन, मुख्यालय में खलासी/टंकक के पद पर नियुक्त किया गया

था, दिनांक 31.08.2016 को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद की सेवाओं से सेवानिवृत हुए। याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि सेवानिवृति के बाद की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि उन्होनें अनुलग्नक–2 के तहत माडा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिया हैं

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर काई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्त्ता विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

दूसरी ओर, उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को सक्षम प्राधिकारी यानी प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचिकाकर्त्ता की शिकायतों को देख सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्त्ता के सेवानिवृति के बाद के कुछ बकाया और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित हैं, इसलिए रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ नए अभ्यावेदन तीन सप्ताह की अवधि के भीतर देने की अनुमति देकर किया जाता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार और याचिकाकर्त्ता के रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद उस पर विचार करे, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त और

सकारण आदेश पारित करें, जिसे याचिकाकर्त्ता को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्त्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और सेवानिवृति के बाद के बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया के हकदार हैं, तो प्रतिवादी–माडा द्वारा बनाई गईं योजना के अनुसार भी इसे वितरित किया जाएगा जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

तद्नुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

ह0

(प्रमाथ पटनायक, जे0)